DIRECTORATE OF RESEARCH & DEVELOPMENT
निदेशालय, अनुसंधान एवं विकास
VEER BAHADUR SINGH PURVANCHAL UNIVERSITY, JAUNPUR-222003 (U.P.)
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर -222003 (उ0प्र0)
Website: vbspu.ac.in Email: directorrnd@vbspu.ac.in

Ref. No.: 92 /VBSPU/DND/2026 Date: 30/10/2026

CIRCULAR

Subject: Plagiarism checking and submission of Ph.D. theses

To ensure originality, academic integrity and consistency in thesis submission, all research scholars, supervisors and concerned units shall comply with the following instructions, in accordance with the UGC Plagiarism Regulations, 2018 and the Public Notice on Self-Plagiarism dated 20 April 2020.

1. Complete submission. Submit the complete thesis in a searchable PDF, using Unicode for Indian-language text, with all chapters, tables, figures, appendices and supporting data forming part of the thesis. Attach the prescribed University forms, scholar's originality undertaking, supervisor's certificate and relevant publications. Any separate file prepared for checking must preserve the substantive content and identify material excluded, with reasons.

2. Plagiarism checking. The University R & D shall check each thesis for plagiarism using University-approved software. It shall retain the checked file and complete report, recording the checking date and exclusions. Matched passages shall be examined academically; the similarity percentage alone does not establish plagiarism.

3. Permissible exclusions. Similarity checks shall exclude the following under Regulation 7 of the UGC Regulations, 2018: (i) "All quoted work reproduced with all necessary permission and/or attribution"; (ii) references, bibliography, table of contents, preface and acknowledgements; and (iii) generic terms, laws, standard symbols and standard equations. The accompanying note on common knowledge or coincidental terms up to fourteen consecutive words shall be applied in context. The abstract, summary, hypothesis, observations, results, conclusions and recommendations must reflect original research.

4. Previously published work. Fully cite and acknowledge any reuse of the scholar's earlier text, data or publications. Disclose the extent of reuse and provide the relevant papers for verification. The scholar's own publications shall not be automatically excluded from checking; any permissible exclusion must be justified and recorded. **All papers published from the Ph.D. research shall give appropriate credit to Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur.** Publications lacking such credit shall not be considered towards Ph.D. thesis submission requirements. A complete list and full copies of all papers published from the research shall be enclosed as an annexure to the thesis.

5. Responsibility of scholar and supervisor. Under Regulation 6(c)-(d), the scholar shall undertake that the thesis is personally prepared, original, plagiarism-free and checked using University-approved software. Under Regulation 6(f), the supervisor shall certify that the research is plagiarism-free. Both shall verify citations, disclosed reuse and consistency of checked and submitted versions; substantive revisions require rechecking. University checking does not relieve them of these responsibilities. For plagiarism detected subsequently, including after award of the degree, responsibility shall rest solely with the scholar and concerned supervisor(s), according to

their respective roles and findings under Regulations 9-12. Regulation 12.1, Note 2, shall apply to post-award cases, where applicable.

6. Final thesis and Shodhganga. Document all corrections required during evaluation. The final hard copy, soft copy and Shodhganga version shall contain identical approved content. The directorate R &D shall coordinate deposit with INFLIBNET within one month after award of the degree, under Regulation 6(g).

7. Non-compliance and action. Incomplete submissions shall be returned. Suspected plagiarism or a false undertaking/certificate shall be referred for inquiry under applicable rules. Plagiarism cases shall follow Regulations 9-12. Individual responsibility shall be established through due inquiry, with a fair opportunity of defence and exhaustion of avenues of appeal before penalties are imposed.

Principals, Heads of Departments and supervisors shall circulate these instructions, verify compliance before forwarding theses and promote research ethics awareness. Strict compliance and active monitoring are required from all concerned.

(Prof. Raj Kumar)

Copy to:

1. PS to the Vice-Chancellor; The Hon'ble Vice-Chancellor, for information.
2. The Registrar, VBSPU.
3. All Deans, Directors, Heads of Departments and Principals of affiliated research centres; Research supervisors and scholars;
4. The Librarian, Central Library, for compliance.
5. Director, Academic affairs
6. Webmaster for uploading.
7. Office Copy/Guard File.

(Prof. Raj Kumar)

References: UGC (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018, Regulations 5-12; UGC Public Notice F.1-1/2020(SECY), dated 20 April 2020.

पत्रांक: .02./VBSPU/DND/2026 दिनांक: 30/10/2026

परिपत्र

विषय: पीएच.डी. शोध-प्रबंधों की साहित्यिक चोरी (प्लेजरिज्म) जाँच एवं प्रस्तुतिकरण के संबंध में।

शोध-प्रबंधों में मौलिकता, शैक्षणिक ईमानदारी एवं प्रस्तुतिकरण में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त शोधार्थियों, शोध-निर्देशकों एवं संबंधित इकाइयों को यूजीसी (शैक्षणिक ईमानदारी का संवर्धन एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम) विनियम, 2018 तथा स्व-साहित्यिक चोरी (Self-Plagiarism) के संबंध में दिनांक 20 अप्रैल, 2020 को जारी सार्वजनिक सूचना के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

1. पूर्ण शोध-प्रबंध का प्रस्तुतिकरण: शोध-प्रबंध की सम्पूर्ण प्रति सर्च योग्य PDF प्रारूप में प्रस्तुत की जाए। भारतीय भाषाओं के पाठ के लिए यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग किया जाए। शोध-प्रबंध में सभी अध्याय, सारणियाँ, चित्र, परिशिष्ट एवं संबंधित सहायक आँकड़े सम्मिलित हों। इसके साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र, शोधार्थी का मौलिकता संबंधी शपथ-पत्र, शोध-निर्देशक का प्रमाण-पत्र तथा संबंधित शोध-प्रकाशन संलग्न किए जाएँ। जाँच हेतु तैयार की गई किसी पृथक फाइल में शोध-प्रबंध की मूल विषयवस्तु यथावत रखी जाए तथा उसमें से हटाई गई सामग्री का विवरण एवं उसका कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।

2. साहित्यिक चोरी की जाँच: विश्वविद्यालय का शोध एवं विकास निदेशालय (R&D) विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक शोध-प्रबंध की साहित्यिक चोरी संबंधी जाँच करेगा। जाँच की गई फाइल एवं पूर्ण रिपोर्ट को जाँच की तिथि तथा किए गए अपवर्जनों के विवरण सहित सुरक्षित रखा जाएगा। समानता पाए गए अंशों का शैक्षणिक दृष्टि से परीक्षण किया जाएगा। केवल समानता प्रतिशत के आधार पर साहित्यिक चोरी का निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा।

3. अनुमन्य अपवर्जन: यूजीसी विनियम, 2018 के विनियम 7 के अंतर्गत साहित्यिक चोरी की जाँच में निम्नलिखित को अपवर्जित किया जाएगा:

(i) आवश्यक अनुमति एवं/अथवा उचित संदर्भ सहित पुनरुत्पादित समस्त उद्धृत सामग्री;

(ii) संदर्भ सूची, ग्रंथ-सूची, विषय-सूची, प्राक्कथन एवं आभार; तथा

(iii) सामान्य शब्दावली, विधिक प्रावधान, मानक प्रतीक एवं मानक समीकरण।

सामान्य ज्ञान अथवा संयोगवश समान पाए गए लगातार चौदह शब्दों तक के संबंध में संबंधित प्रावधान को संदर्भ एवं प्रसंग के अनुसार लागू किया जाएगा। शोध-प्रबंध का सारांश, संक्षिप्त विवरण, परिकल्पना, प्रेक्षण, परिणाम, निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ मौलिक शोध पर आधारित होनी चाहिए।

4. पूर्व प्रकाशित शोध-कार्य: शोधार्थी द्वारा पूर्व में प्रकाशित सामग्री, आँकड़ों अथवा शोध-प्रकाशनों का पुनः उपयोग किए जाने पर उनका उचित संदर्भ एवं आभार अनिवार्य रूप से दिया जाए। पुनः उपयोग की गई सामग्री की सीमा का स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित शोध-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाएँ। शोधार्थी के स्वयं के प्रकाशनों को जाँच से स्वतः अपवर्जित नहीं किया जाएगा। किसी भी अनुमन्य अपवर्जन का औचित्य दर्ज करना आवश्यक होगा।

पीएच.डी. शोध-कार्य से प्रकाशित सभी शोध-पत्रों में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को उचित श्रेय (Credit) दिया जाना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय को उचित श्रेय न देने वाले प्रकाशनों को पीएच.डी. शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। शोध-कार्य से प्रकाशित सभी शोध-पत्रों की पूर्ण सूची एवं उनकी संपूर्ण प्रतियाँ शोध-प्रबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न की जाएँ।

5. शोधार्थी एवं शोध-निर्देशक का दायित्व: यूजीसी विनियम 6(c)-(d) के अनुसार शोधार्थी को यह शपथ-पत्र देना होगा कि शोध-प्रबंध उसके द्वारा स्वयं तैयार किया गया है, मौलिक है, साहित्यिक चोरी से मुक्त है तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सॉफ्टवेयर से जाँच किया गया है। विनियम 6(f) के अनुसार शोध-निर्देशक को शोध-कार्य के साहित्यिक चोरी से मुक्त होने का प्रमाण-पत्र देना होगा।

शोधार्थी एवं शोध-निर्देशक दोनों संदर्भों, पूर्व प्रकाशित सामग्री के पुनः उपयोग के प्रकटीकरण तथा जाँच हेतु प्रस्तुत एवं अंतिम रूप से जमा की गई प्रतियों की एकरूपता सुनिश्चित करेंगे। शोध-प्रबंध में कोई महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने पर पुनः जाँच कराना आवश्यक होगा। विश्वविद्यालय द्वारा की गई जाँच से शोधार्थी एवं शोध-निर्देशक के दायित्व समाप्त नहीं होंगे।

उपाधि प्रदान किए जाने के पश्चात भी साहित्यिक चोरी का मामला संज्ञान में आने पर, संबंधित भूमिकाओं एवं जाँच में स्थापित तथ्यों के अनुसार, शोधार्थी एवं संबंधित शोध-निर्देशक उत्तरदायी होंगे। ऐसे मामलों में, जहाँ लागू हो, यूजीसी विनियम 9 से 12 तथा विनियम 12.1 के नोट 2 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

6. अंतिम शोध-प्रबंध एवं शोधगंगा: शोध-प्रबंध के मूल्यांकन के दौरान अपेक्षित सभी संशोधनों का अभिलेखीकरण किया जाए। अंतिम हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी एवं शोधगंगा (Shodhganga) पर जमा की जाने वाली प्रति में स्वीकृत विषयवस्तु समान होनी चाहिए। यूजीसी विनियम 6(g) के अनुसार उपाधि प्रदान किए जाने के एक माह के भीतर INFLIBNET के माध्यम से शोध-प्रबंध जमा कराने हेतु शोध एवं विकास निदेशालय समन्वय करेगा।

7. अनुपालन न किए जाने पर कार्यवाही: अपूर्ण आवेदन/प्रस्तुतियाँ संबंधित शोधार्थी को वापस कर दी जाएँगी। साहित्यिक चोरी का संदेह होने अथवा शपथ-पत्र/प्रमाण-पत्र में गलत जानकारी पाए जाने पर प्रकरण को नियमानुसार जाँच हेतु संदर्भित किया जाएगा। साहित्यिक चोरी से संबंधित मामलों में यूजीसी विनियम 9 से 12 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। दण्डात्मक कार्यवाही से पूर्व उचित जाँच के माध्यम से व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा तथा संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर और अपील के उपलब्ध उपायों का लाभ प्रदान किया जाएगा।

समस्त प्राचार्य, विभागाध्यक्ष एवं शोध-निर्देशक इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, शोध-प्रबंध अग्रसारित करने से पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुपालन का सत्यापन करें तथा शोध नैतिकता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दें। सभी संबंधितों द्वारा इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन एवं सक्रिय निगरानी सुनिश्चित की जाए।

(प्रो. राज कुमार)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. कुलपति महोदय के निजी सचिव — माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
3. समस्त संकायाध्यक्ष, निदेशक, विभागाध्यक्ष एवं सम्बद्ध शोध केन्द्रों के प्राचार्य; शोध-निर्देशक एवं शोधार्थी।
4. पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय — आवश्यक अनुपालन हेतु।
5. निदेशक, शैक्षणिक कार्य।
6. वेबमास्टर — विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. कार्यालय प्रति/गार्ड फाइल।

(प्रो. राज कुमार)

संदर्भ: यूजीसी (उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक ईमानदारी का संवर्धन एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम) विनियम, 2018, विनियम 5 से 12; यूजीसी सार्वजनिक सूचना संख्या F.1-1/2020(SECY), दिनांक 20 अप्रैल, 2020।